

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/पौष 3, 1935

No. 614]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSA 3, 1935

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2013

**सा.का.नि. 790 (अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग गेस्टेटनर आपरेटर (साधारण श्रेणी), दफ्तरी, माली, चौकीदार, फराश, सफाईवाला (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग गेस्टेटनर आपरेटर (ज्येष्ठ श्रेणी) अभिलेखपाल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2004 को जहां तक इनका संबंध अभिलेखपाल पद से है, इन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2013 है।
- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन** (1)—इन नियमों के आरंभ से ठीक पहले नियमित आधार पर जिल्दसाज, पिन पोइन्टर आपरेटर, स्केल मैन, कोयल मैन, चपरासी, शार्टर, केनर, स्वच्छकार, भिस्ती, कूपर (बढ़ई) और दरवान का पद धारण करने वाले व्यक्ति और स्तंभ (7) में विहित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति किए हुए समझे जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व संबंधित श्रणियों में ऊपर निर्दिष्ट कार्मिकों की नियमित निरन्तर सेवा, सेवा में परिवीक्षा, ज्येष्ठता, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

8. **विशेष उपबन्ध** : प्रत्येक आयुक्तालय का इसका स्वयं का पृथक काडर होगा, जब तक कि अन्यथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विहित न किया जाए।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
बहुकार्य कर्मचारिवृन्द	847* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच) <b>टिप्पण :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
8	9	10	11
लागू नहीं होता	02 वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) <u>निम्नलिखित</u> से मिल कर बनेगी - (1) एकल आयुक्तालय अर्थात् ऐसे आयुक्तालय जिनमें कोई सामान्य काडर नहीं है। (i) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला मुख्यालय में अपर आयुक्त -अध्यक्ष (ii) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला मुख्यालय में अधिमानतः ज्येष्ठतम उपायुक्त - सदस्य (iii) आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला आयकर उपायुक्त या सहायक आयकर उपायुक्त -सदस्य (2) संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् दो या अधिक आयुक्तालय जिनका सामान्य काडर हो। (i) संबद्ध आयुक्त के पारस्परिक परामर्श से काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अधिकतम 3 के अधीन रहते हुए प्रत्येक आयुक्तालयों में से एक-एक अपर आयुक्त (उनमें से ज्येष्ठतम) -अध्यक्ष	लागू नहीं होता

(ii) काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला मुख्यालय में अधिमानत : ज्येष्ठतय उपायुक्त -सदस्य	
(iii) आयकर आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला उपायुक्त या सहायक आयुक्त, आयकर -सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/03/2012- प्रशासन-III बी]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, 24th December, 2013

**G.S.R.790 (E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Customs Department Gestetner Operator (Ordinary Grade), Daftry Mali, Chowkidar, Farash, Safaiwala (Group 'D' posts) Recruitment Rules 2004 and Central Excise and Customs Department Gestetner Operator (Senior Grade) and Record Keeper, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004 in so far as it relates to the post of Record Keeper (Group 'C' Posts), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi-Tasking Staff in the Central Excise and Customs Department under the control of Central Board of Excise and Customs, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Multi-Tasking Staff (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Initial Constitution.** - (1) Personnel holding the post of Bookbinder, Pin- Point Operator, Scaleman, Koyalman, Peon, Sorter, Caner, Scavenger, Bhisti, Cooper (Carpenter) and Darwan immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above in the respective grades immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

**3. Number of posts, classification and the pay band, grade pay or pay scale.**— The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**8. Special Provision:** - Each Commissionerate shall have its own separate cadre unless other-wise prescribed by the Central Board of Excise and Customs.

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff.	847* (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' (Non- Gazetted, Non-Ministerial).	Pay band -1, (Rs 5200-20200) with grade pay Rs. 1800/-.	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognized Board or Institution.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for consideration of confirmation) consisting of: (I) Single Commissionerate i.e. Commissionerates having no common cadre: (i) The Additional Commissioner at Headquarter office to be nominated by the Cadre Controlling Authority – <b>Chairman</b> , (ii) The Deputy Commissioner <b>preferably</b> senior most at Headquarter office to be nominated by the Cadre Controlling Authority – <b>Member</b> (iii) The Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax - <b>Member</b> (II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre:-	Not applicable.

	<p>(i)The Additional Commissioner from each of the Commissionerates subject to maximum of three to be nominated by the cadre controlling authority by mutual consultation with Commissioner concerned. The senior most among them would to be the <b>Chairman</b>,</p> <p>(ii)The Deputy Commissioner preferably senior most at Headquarter office to be nominated by the Cadre Controlling Authority – <b>Member</b>,</p> <p>(iii) The Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax - <b>Member</b></p>	
--	---	--

[ F.No. A-12018/03/2012-Ad. III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.